कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सीधी (म.प्र.)

संशोधित निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये किराये पर वाहन प्रदाय किये जाने हेतु संक्षिप्त निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सीधी जिले में कलेक्टर कार्यालय सीधी /तहसीलदारों के लिये वित्तीय वर्ष 2020–21 में मासिक किराये पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 05.10.2020 से 20.10.2020 की शायं 3.00 बजे तक मुहरबंद निविदायें कलेक्टर कार्यालय सीधी में आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्ते एवं निविदा फार्म तथा अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में दिनांक 05.10.2020से दिनांक 20.10.2020 को अपरान्ह 2.00 बजे अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालय कलेक्टर सीधी नजारत शाखा से प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 20.10.2020 को अपरान्ह 3.00 बजे कलेक्टर कार्यालय सीधी के सभाकक्ष में उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। विज्ञापन एवं शर्ते व आवेदन का प्रारूप इत्यादि का विवरण **WWW.sidhi.nic.in** पर एवं कार्यालय के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। निविदा की शर्ते एवं नियम निम्नानुसार है :–

1. फर्मो/संस्थाओं का व्यावसायिक वाहनों (टैक्सी कोटे) के परिचालन हेतु ट्रेवल एजेन्सी का वैध जीवित पंजीयन सेवा कर सहित एवं जी.एस.टी. होना अनिवार्य है।
2. फर्मो/संस्थाओं का व्यावसायिक वाहनों के परिचालन हेतु (टैक्सी कोटे) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है । जिसकी छायाप्रति संलग्न करें।
3. निविदाकर्त्ता का कार्यालय (मुख्यालय अथवा कोई शाखा) सीधी में होना चाहिये। (प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें)
4. निविदाकर्त्ता को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी शासकीय अर्ध्दशासकीय अथवा केन्द्र शासित संस्था व्दारा प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, तथा संस्था के विरूध्द कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।
5. निविदाकर्त्ता व्दारा प्रस्तुत प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी शासकीय, अर्ध्दशासकीय संस्था अथवा केन्द्र शासित संस्था व्दारा प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेड के आशय का शपथ पत्र यदि गलत पाया जाता है अथवा शिकायत की पुष्टी होती है तो संस्था का निविदा आवेदन/अनुबंध को समाप्त कर उसकी धरोहर राशि राजसात कर अगले न्यूनतम दर एल 2 से एल 1 की दर पर कार्य कराया जायेगा।
6. फर्म का 3 वर्ष का शासकीय विभागों में वाहन लगाये जाने का कार्यानुभव होना अनिवार्य है। कार्यालय प्रमुख व्दारा जारी कार्यानुभव की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जावे।
7. निविदा प्रस्तुत करने वाले फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्ष का औसत टर्न ओव्हर 30 लाख प्रतिवर्ष से कम नहीं होना चाहिये। इसका प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कर एवं 03 वर्ष का बैंक स्टेटमेन्ट निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
8. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किरायें पर लिये जायेंगे। वाहन में डीजल की खपत शासन व्दारा जारी एवरेज के मापदण्ड के अनुरूप होगी। परन्तु वाहन का एवरेज 10 कि.मी. प्रति लीटर से कम नहीं होगा। 10 कि.मी. प्रति लीटर से कम एवरेज होने पर निविदाकर्त्ता से राशि वसूल की जावेगी।

9. निविदा में वाहनवार एक्सयूबी, स्कार्पियों, इनोवा, बुलेरो एवं सफारी का मासिक किराया, दैनिक किराया, कि.मी., ए.सी./नाम ए.सी. के मान से पृथक-पृथक दरें प्रस्तुत की जाय। निविदा में वाहन की मासिक किराये की दरे वाहन चालक सहित एवं वाहन चालक रहित पृथक-पृथक प्रस्तुत की जावें। वाहन चालक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में जिले में जारी कलेक्टर दर अनुसार कुशल वाहन चालक (श्रमिक) के लिए स्वीकृत दर पर वाहन किराया में से कटौती की जावेगी।
10. किराये की अवधि में डीजल को छोडकर वाहन में अन्य सभी प्रकार के मरम्मत, टायर, ट्यूब, बैट्री आदि के व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन निविदाकार की होगी।
11. वाहन चालक के पास नियमानुसार वैध ड्रायविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। वाहन का पंजीकरण, बीमा व वाहन से संबंधित अन्य सभी प्रकार के वैधानिक दस्तावेज होना आवश्यक होगा। वाहन टैक्स तथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी उसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा, तथा वाहन के वेतन के साथ-साथ समस्त खर्चे का वहन करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
12. वाहन के मासिक किराये का भुगतान अनुमोदित दरों के अनुसार किया जायेगा। शासन व्दारा समय-समय पर निर्धारित नियमानुसार कर पृथक से देय होंगे।
13. वाहन वर्ष 2018 के पूर्व का पंजीकृत नहीं होना चाहिये।
14. वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्त्ता अधिकारी को सामान्यतः 02 घंटे में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन 02 घंटे से अधिक खराब रहने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जायेगा।
15. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थान में भी ले जाया जा सकेगा।
16. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में स्टेपनी, चारों पहियों में टायर ट्यूब व माइलोमीटर उत्तम एवं चालू हालत में होने की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्त्ता की होगी ।
17. मासिक किराया में लगे वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई बंधन नहीं रहेगा। इसी प्रकार दैनिक किराये पर लगे वाहन 250 कि.मी. के अंदर की दूरी का दैनिक किराया एवं उससे अधिक दूरी का प्रति कि.मी. का किराया देय होगा।
18. प्रत्येक निविदाकर्त्ता को फार्म के साथ 1,00,000.00 (एक लाख रूपये) का एफ.डी.आर. कलेक्टर सीधी के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिनकी निविदा मान्य कर ली जावेगी । उनकी एफ.डी.आर. जमा की जावेगी एवं शेष की वापस कर दी जावेगी।
19. निविदा फार्म के लिये निर्धारित शुल्क रूपये 1000.00/चालान व्दारा मद 0070 अन्य प्रशासनिक मद में जमा कर निविदा फार्म प्रकाशन दिनांक से (अवकाश के दिनों को छोडकर) अंतिम तिथि दिनांक 20.10.2020 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।
20. वाहन किराये पर लेने के लिये वाहनों की संख्या समय-समय पर कलेक्टर व्दारा निर्धारित की जावेगी तथा वाहनों की मॉग/आवश्यकतानुसार होने पर तुरन्त निविदाकार को अनुबंध की शर्तो के अनुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा । मॉग अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उसके व्दारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।
21. प्रत्येक निविदाकार को एक साथ दो भाग में निविदा प्रपत्र पृथक-पृथक बंद लिफाफे में देने होगें। निविदा प्रपत्र के एक भाग में निविदा का तकनीकी पक्ष सम्मिलित होगा। जिसमें नियम एवं शर्तो को पूरा करने की जानकारी आवश्यक प्रमाण-पत्र तथा संबंधित

अभिलेख प्रस्तुत करने होगें। जबकि प्रपत्र का दूसरा भाग प्रतिस्पार्धत्मक दरों वित्तीय पक्ष से संबंधित होगा। तकनीकी पक्ष की जानकारी वाले लिफाफे पर तकनीकी पक्ष तथा वित्तीय पक्ष वाले लिफाफे पर वित्तीय पक्ष लिखना अनिवार्य होगा। तकनीकी निविदा से सभी शर्तो को पूरा करने पर प्रतिस्पर्धा हेतु पात्र पाये जाने की स्थिति में ही निविदादाता के वित्तीय पक्ष वाले प्रपत्र को निर्धारित तिथि एवं समय पर खोला जावेगा। जिस निविदादाता के तकनीकी पक्ष में कमियॉ अथवा विसंगतियॉ होगी उनकी निविदा प्रपत्र के वित्तीय पक्ष को प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

22. निविदाकारों व्दारा प्रस्तुत कोई भी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
23. अपूर्ण / अधूरी निविदा मान्य नहीं होगी।
24. वाहन आवश्यकतानुसार किराए पर लिया जायेगा। आवश्यकता नहीं होने पर किसी भी समय एकपक्षीय रूप से पृथक किया जा सकेगा।
25. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला सीधी का होगा।

कलेक्टर
जिला सीधी (म.प्र.)

पृष्ठा.क्रमांक / 608 /3ए–वित्त / 2020 सीधी, दिनांक 05 अक्टूबर 2020

प्रतिलिपि :–

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला सीधी की ओर निविदा एन.आई.सी. सीधी की बेवसाइट में अपलोड करने बावत।
2. जिला जन संपर्क अधिकारी जिला सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा जिला कार्यालय सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर
जिला सीधी (म.प्र.)